अंतिम-3

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

237/17/225 हेमलता v/s बस्तीराम

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2017/00237 श्री राकेश अरोड़ा श्री वी०के० विजयवर्गीय 1, 4	

श्रीमती हेमलता बनाम बस्ती राम वगैरह

14.1.21

पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 04 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 15.12.2017 से आज दिनांक तक अर्थात 3 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 05 की तलबी हेतु एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के कायममुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। हांजा न्यायालय के द्वारा अपीलांट को दिनांक 06.11.2020, दिनांक 04.12.2020, दिनांक 07.01.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 की तलबी नोटिस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कायममुकाम की कार्यवाही हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी एवं 3 बार अंतिम अवसर दिये जाने बाद भी सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत नही किये हैं एवं ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की कायममुकाम की कार्यवाही की गई। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 05 के प्रावधानो अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत् रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 05 की तलबी हेतु सम्मन /नोटिस तलबाना पेश नहीं कर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की कायममुकाम की कार्यवाही नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नही की है।

अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत् खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर